राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2019 – निगरानी

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. भैरू लाल पिता जगदीश चन्द्र ढोली निवासी सगरेव 2. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सगरेव
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री हरीश चन्द्र टेलर अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री सत्यनारायण सोमाणी अधिवक्ता – गेर निगराकार संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 21.11.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत सगरेव के सरपंच श्री दशरथ ढोली एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री बाबूलाल सुवालका ने ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 9 की आबादी भूमि के खसरा नं. 1880 रकबा 6.18 हैक्ट. किस्म गेमु आबादी में भैरू लाल पिता जगदीश चन्द्र ढोली निवासी सगरेव को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत दिनांक 27.07.2017 को पट्टा क्रमांक 161/35 जारी किया गया। इसके संदर्भ में घनश्याम दाधीच उप सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा शिकायत दर्ज कराई जिसकी जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई पत्रावली कायम किये केवल आवेदन पत्र के आधार पर पटटा जारी किया गया है जो नियम विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की पालना नही की गयी। पटटा आवंटन में मौके पर महिला शौचालय हेतु भूमि सुरक्षित हैं, जो वर्तमान में इसी कार्य हेतु काम मे ली जा रही हैं। जिसकी चार दीवारी बनी हुई हैं, जिसमें किसी प्रकार के मकान आदि नहीं बने हुए हैं। उक्त पटटा आवंटन में सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के भाई के नाम पटटा जारी किया हैं जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों के विरूद्व हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 161/35 दिनांक 27.07.2017 को खारिज किया जावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 24.01.2019 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार ने जवाब पेश नहीं किया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि उक्त पट्टा आवंटन में ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई पत्रावली कायम किये केवल आवेदन पत्र के आधार पर पटटा जारी किया गया है जो

नियम विरूद्व है। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की पालना नही की गयी। पटटा आवंटन में मौके पर महिला शौचालय हेतु भूमि सुरक्षित हैं, जो वर्तमान में इसी कार्य हेतु काम मे ली जा रही हैं। जिसकी चार दीवारी बनी हुई हैं, जिसमें किसी प्रकार के मकान आदि नहीं बने हुए हैं। उक्त पटटा आवंटन में सरपंच ग्राम पंचायत ने अपने स्वयं के भाई के नाम पटटा जारी किया हैं जो राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों के विरूद्व हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार करायी जाकर ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 161/35 दिनांक 27.07.2017 को खारिज किया जावे।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 147 की पालना कर उक्त पटटा जारी किया है। जिसके दस्तावेज पत्रावली में संलग्न है। पटटा पंचायत की आबादी भूमि में दिया गया हैं। पटटा कीमतन आवंटन किया हैं। निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज कराये जाने की प्रार्थना की हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यों का परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध पंचायत समिति रायपुर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2019 अनुसार वार्ड नं. 9 में वर्षों पूर्व से ही सार्वजनिक शौचालय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सुरक्षित हैं जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रवाहक रामलाल/खेमा गुर्जर निवासी सगरेव, ईश्वर/छोगालाल गुर्जर, हरदेव/नेनू गुर्जर, गोरधन/भगुराम गुर्जर निवासी सगरेव को पुश्तैनी पटटे जारी किये गये जिसमें राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 तक की पालना नही की जाकर कोई पत्रावली कायम नहीं की गयी। कार्यालय ग्राम पंचायत सगरेव के पत्रांक/801 दिनांक 07.01.2019 अनुसार ग्राम पंचायत सगरेव में वार्ड सं. 9 में सार्वजनिक शौचालय में जारी पटटे से संबंधित पत्रावलियां रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से ग्राम सगरेव की आबादी भूमि में पुराना आवासीय मकान होकर कब्जे बाबत् कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नही कराये गये। उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं। गैर निगराकार संख्या 02 सरपंच ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 147 की पालना नहीं किये जाने से, गैर निगराकार संख्या 01 भैरू लाल पिता जगदीश चन्द्र ढोली निवासी सगरेव के पक्ष मे जारी पटटा संख्या 161/35 दिनांक 27.07.2017 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत सगरेव एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति रायपुर को प्रेषित की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2019.11.21 13:47:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: